न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1956–दो/2005 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–8–2005 पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 172/2000–01 अपील

1– चिरोंजी पुत्र हटीला जाटव
2– रामचरण पुत्र हटीला जाटव
3– श्रीमती किन्तु पुत्री हटीला जाटव
पत्नि मन्थू ग्राम राजा का तौर
तहसील कैलारस जिला मुरैना ---आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीगोपाल पुत्र सरनामसिंह ठाकुर
ग्राम राजा का तौर तहसील कैलारस ---अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री कुंअरसिंह कुशवाह)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री एस.पी.धाकड़)

आ दे श

(आज दिनांक 5–11–2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 172/2000–01 अपील में पारित आदेश दिनांक 25–8–2005 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम राजा का तौर स्थित भूमि सर्वे कमांक 481 रकबा एक वीघा के बटवारे

हेतु संहिता की धारा 178 के अंतर्गत नायव तहसीलदार सवलगढ़ के समक्ष आवेदन आने पर प्रकरण क्रमांक 8/98-99 अ 27 दर्ज करते हुये पक्षकारों की सुनवाई कर आदेश दिनांक 29.5.2000 से बटवारा स्वीकार हुआ। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ के समक्ष अपील नंबर 14/1999-2000 प्रस्तुत की जो आदेश दिनांक 27-3-2001 से निरस्त की गई है। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के अपील की गई जो प्रकरण क्रमांक 172/2000-01 अपील पर दर्ज की जाकर आदेश दिनांक 25-8-2005 से निरस्त हुई है। इसीसे दुखी होकर यह निगरानी की गई है।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को को सुना एंव विचार किया गया। अधीनस्थ न्यायालयों के रिकार्ड का परिशीलन किया।

4/ प्रकरण में आये तथ्यों के परिशीलन पर उजागर हुआ कि तहसील न्यायालय में गोपाल सिंह ने ग्राम राजा का तौर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 481 रकबा एक वीघा के बटवारे की मांग की है तब नायव तहसीलदार के समक्ष आपत्ति यह प्रस्तुत की गई कि व्यवहार न्यायालय से स्वत्व का प्रश्न डिसाईड करायेंगे, इसलिये बटवारा कार्यवाही रोक दी जावे, तब नायव तहसीलदार ने तीन माह के लिये बटवारा कार्यवाही रोक ली। तीन माह की अवधि बीत जाने के वाद व्यवहार न्यायालय का अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर नायव तहसीलदार ने हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का पूरा पूरा मौका दिया और बटवारे के नियम एंव प्रकिया के अनुसार कार्यवाही करते हुये आदेश दिनांक 29.5.2000 से बटवारा स्वीकार किया है, जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ ने प्रकरण क्रमांक 14/99-2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 27-3-2001 में

तथा अपर आयुक्त, चम्बल संभाग व्दारा प्र.क. 172/2000-01 अपील में पारित आदेश दि. 25-8-05 में नायव तहसीलदार के आदेश दि. 29.5.2000 को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के निष्कर्ष समरूप है जिसके कारण विचाराधीन में हस्तक्षेप किये जाने की गुंजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। परिणामतः अपर आयुक्त, चम्बल संभाग व्दारा प्र.क. 172/2000-01 अपील में पारित आदेश दि. 25-8-05 विधिवत् पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर